International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 10 Issue 12 || December 2021 || PP. 54-60

भारत में समाज कार्य का इतिहास

डॉ० नेत्रपाल सिंह

डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशियोलॉजी
मान्यवर कांशीराम गोवेर्मेंट डिग्री कॉलेज, गभाना (अलीगढ़)

भारतीय समाज एक परम्परागत समाज रहा है । भारतीय समाज अति प्राचीनकाल में एक प्रकार का साम्यवादी समाज था जिसमें निजी सम्पत्ति का जन्म अभी नहीं हुआ था । निजी सम्पत्ति के जन्म के साथ 'राजा' का भी जन्म हुआ एवं युद्ध से जीती गई सम्पत्ति विजेता की हो गई जिसे वितरित करना उसकी अपनी इच्छा पर था । पीडितों की सहायता करना प्राचीनकाल से भारत की परम्परा रही है । मजूमदार के अनुसार राजा, व्यापारी, जमींदार तथ अन्य सहायता संगठन धर्म के पवित्र कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते थे ।

समाज कार्य एक सहायातामूलक कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं तथा मानवदर्शन का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों की एक व्यक्ति, समूह के सदस्य अथवा समुदाय के निवासी के रूप में उनकी मनो-सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं निदान करने के पश्चात् परामर्श, पर्यावरण में परिवर्तन तथा आवश्यक सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है ताकि वे समस्याओं से छुटकारा पा सकें, सामाजिक क्रिया में प्रभावपूर्ण रूप से भाग ले सकें, लोगों के साथ संतोषजनक समायोजन कर सकें, अपने जीवन में सुख एवं शान्ति का अनुभव कर सकें, तथा अपनी सहायता स्वयं करने के योग्य बन सकें।

समाज कार्य की परिभाषा

समाज कार्य की प्रमुख परिभाषायें हैं :

फ्रीडलैण्डर के अनुसार, "समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानवीय सम्बन्धों में निपुणता पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों की अकेले अथवा समूहों में सामाजिक एवं वैयक्तिक संतोष एवं स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता करती हैं।"

इण्डियन कान्फ्रेन्स ऑफ सोशल वर्क के मत में, "समाज कार्य मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं पर आधरित व्यक्तियों अथवा समूहों अथवा समुदाय को एक सुखी एवं सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने हेतु एक कल्याणकारी क्रिया है।"

चेनी के अनुसार, "समाज कार्य के अन्तर्गत ऐसी आवश्यकताओं जो सामाजिक सम्बन्धों से सम्बन्धित है तथा जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं ढंगों का उपयोग करती हैं, के सन्दर्भ में लाभों का प्रदान करने के सभी ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित हैं।"

फिंक के मत में, "समाज कार्य अकेले अथवा समूहों में व्यक्तियों को वर्तमान अथवा भावी ऐसी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाओं जो समाज में पूर्ण अथवा प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती हैं अथवा रोक सकती है, के विरूद्ध सहायता प्रदान करने हेतु प्ररचित सेवाओं का प्रावधान है।"

सुशील चन्द्र के मत में, "समाज कार्य जीवन के मानदण्डों को उन्नत बनाने तथा समाज के सामाजिक विकास की किसी स्थिति में व्यक्ति, परिवार, तथा समूह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कल्याण हेतु सामाजिक नीति के कार्यान्वयन में सार्वजनिक अथवा निजी प्रयास द्वारा की गयी गतिशील क्रिया है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं एवं मानवतावादी दर्शन का प्रयोग करते हुए मनो-सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों को वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करने की एक क्रिया है जो उनकी इन समस्याओं को पहचानने, उन पर ध्यान को केन्द्रित करने, उनके कारणों को जानने तथा इनका स्वत: समाधान करने की क्षमता को विकसित करती है तथा सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों को दूर करती हुई इसमें वांछित परिवर्तन लाती है ताकि व्यक्ति की सामाजिक क्रिया प्रभावपूर्ण हो सके, उसका समायोजन संतोषजनक हो सके और उसे सुख तथा शान्ति का अनुभव हो सके।

समाज कार्य की विशेषताएँ

समाज कार्य की प्रमुख विशेषताएँ है-

समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। इसमें विविध प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं तथा दार्शनिक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है।

समाज कार्य सहायता समस्याओं का मनो-सामाजिक अध्ययन तथा निदानात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रदान की जाती है।

समाजकार्य समस्याग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने का कार्य है। ये समस्याएँ मनो-सामाजिक होती है।

समाज कार्य सहायता किसी अकेले व्यक्ति अथवा समूह अथवा समुदाय को प्रदान की जा सकती है।

समाज कार्य सहायता का अन्तिम उद्देश्य समस्याग्रस्त सेवार्थी में आत्म सहायता करने की क्षमता उत्पन्न करना होता है।

समाज कार्य सहायता प्रदान करते समय सेवार्थी की व्यक्तित्व सम्बन्धी संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था दोनों में परिवर्तन लाते हुए कार्य किया जाता है। समाज कार्य के उद्देश्य उद्देश्य हमें दिशा बोध कराते है।

समाज कार्य के उद्देश्य

समाज कार्य कर्ताओं को सेवायें प्रदान करते समय दिशा निर्देशन करते हैं इसलिए इनकी जानकारी आवश्यक है। ब्राउन ने समाज कार्य के चार उद्देश्यों का उल्लेख किया है:

भौतिक सहायता प्रदान करना,

समायोजन स्थापित करने में सहायता देना,

मानसिक समस्याओं का समाधान करना तथा

निर्बल वर्ग के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधायें उपलब्ध कराना।

फ्रीडलैण्डर ने दुखदायी सामाजिक दशाओं में परिवर्तन, रचनात्मक शक्तियों का विकास तथा प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों एवं मानवोचित व्यवहारों के अवसरों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करने के तीन उद्देश्यों का उल्लेख किया है। इस प्रकार विशिष्ट रूप से समाज कार्य के उद्देश्य है:

मनो-सामाजिक समस्याओं का समाधान करना।

मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

सामाजिक सम्बन्धों को सौहादर्◌्रपूर्ण एवं मधुर बनाना।

व्यक्तित्व में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना।

सामाजिक उन्नति एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना।

लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करना।

पर्यावरण को स्वस्थ एवं विकास के अनुकूल बनाना।

सामाजिक विकास हेतु सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन करना।

स्वस्थ जनमत तैयार करना।

लोगों में सामंजस्य की क्षमता विकसित करना।

लोगों की सामाजिक क्रिया को प्रभावपूर्ण बनाना।

लोगों में आत्म सहायता करने की क्षमता विकसित करना।

लोगों को उनके जीवन में सुख एवं शान्ति का अनुभव कराना।

समाज में शान्ति एवं व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

समाज कार्य की मौलिक मान्यताएँ

समाज कार्य की मौलिक मान्यताएँ है :

व्यक्ति एवं समाज अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय के रूप में सेवार्थी की समस्या के समाधन हेतु सामाजिक दशाओं एवं परिस्थतियों का अवलोकन एवं मूल्यॉकन आवश्यक होता है।

व्यक्ति तथा पर्यावरण के बीच होने वाली अन्त:क्रिया में आने वाली बाधाएँ समस्या का प्रमुख कारण होती है। इसलिए समाज कार्य की क्रियाविधि का केन्द्र बिन्दु अन्त:क्रियायें होती हैं।

व्यवहार तथा दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित किये जाते हैं। इसीलिए सामाजिक शक्तियों में हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है।

व्यक्ति एक सम्पूर्ण इकाई है। इसीलिए उससे सम्बन्धित आन्तरिक तथा बा°य दोनों प्रकार की दशाओं का अध्ययन आवश्यक होता है।

समस्या के अनेक स्वरूप होते हैं। इसीलिए इनके समाधान हेतु विविध प्रकार के ढंगों की आवश्यकता होती है।

समाज कार्य के प्रमुख अंग

समाज कार्य के तीन प्रमुख अंग है-कार्यकर्ता, सेवार्थी तथा संस्था। समाज कार्य में कार्यकर्ता का स्थान प्रमुख होता है। यह कार्यकर्ता वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य अथवा सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता हो सकता है। कार्यकर्ता की भूमिका समस्या की प्रकृति पर निर्भर करती है। कार्यकर्ता को मानव व्यवहार का समुचित ज्ञान होता है। उसमें व्यक्ति, समूह तथा समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं एवं व्यवहारों को समझने की क्षमता एवं योग्यता होती है। सेवार्थी एक व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय हो सकता है। जब सेवार्थी एक व्यक्ति होता है तो अधिकांश समस्याएँ मनो-सामाजिक अथवा समायोजनात्मक अथवा सामाजिक क्रिया से सम्बन्धित होती है और कार्यकर्ता वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली का प्रयोग करते हुए सेवायें प्रदान करता है। जब सेवार्थी एक समूह होता है तो प्रमुख समस्यायें प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा नेतृत्व के विकास, सामूहिक तनावों एवं संघर्षों के समाधान तथा मैत्री एवं सौहादपूर्ण सम्बन्धों के विकास से सम्बन्धित होती है। जब सेवार्थी एक समूदाय होता है तो समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ सामुदायिक एकीकरण का विकास करने का प्रयास किया जाता है। एक सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय में उपलब्ध संसाधनों एवं समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं के बीच प्राथमिकताओं के आधर पर सामंजस्य स्थापित करता है और लोगों को एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर कार्य करने के अवसर प्रदान करते हुए सहयोगपूर्ण मनोवृत्तियों, मूल्यों एवं व्यवहारों का विकास करता है।

हडप्पा संस्कृति से लेकर बौद्ध काल तक जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए जाते थे ।बुद्ध अपने जीवन काल में काफी लोगों को उपदेश दिया करते थे । मौर्यकाल में भी जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए गए । अशोक ने भी कहा कि सहायता के लिए मेरी प्रजा किसी भी समय मुझसे मिल सकती है चाहे मैं अन्त:पुर में ही क्यों न रहूँ । गुप्तकाल एवं हर्ष के काल में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ देखने को मिलती हैं ।

भारत में जब मुसलमान आये तो उन्होंने भी अपने धर्म के आदेशानुसार दान-पुण्य पर अधिक धन व्यय किया । इस्लाम में ज़कात एक महत्वपूर्ण तत्त्व है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति, विशेष प्रकार से धन या स्वर्ण, का ढाई प्रतिशत भाग ज़कात के रूप में व्यय करना आवश्यक है ज़कात की रकम निर्धन एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों पर व्यय की जाती है । इसके अतिरिक्त इस्लाम में एक संस्था खैरात की भी है जिसके अनुसार अभावग्रस्त व्यक्तियों की आर्थिक सहायता व्यक्तिगत रूप से की जाती है । इसके लिये कोई दर निश्चित नहीं है और यह इच्छानुसार दी जाती है ।

भारत में काफी अधिक समय से पारसी लोग भी रहते हैं । पारसियों के धर्म में भी दान को बड़ा महत्त्व दिया गया है । पारसियों ने यहाँ धर्मशालाएँ, तालाब, कुयें, विद्यालय आदि बनवाए । उन्होंने बहुत से न्यास स्थापित किये जिनमें से एक प्रसिद्ध न्यास बाम्बे पारसी पंचायत ट्रस्ट फन्ड्स है । इन प्रयास के उद्देश्यों में पारसी विधवाओं की सहायता,पारसी बालिकाओं की विवाह सम्बन्धी सहायता, नेत्रहीन पारसियों की सहायता, निर्धन पारसियों की सहायता,और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी सहायता सम्मिलित है ।

समाज सुधार आन्दोलन (Social Reform Movement)

जब अंग्रेज भारत में आये तो क्रिश्चियन मिशनों ने भी यहाँ अपना कार्य आरम्भ किया । क्रिश्चियन मिशनों ने अपने धर्म प्रचार के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण सम्बन्धी कार्य किये ।

1780 में बंगाल में सिरामपुर मिशन स्थापित हुआ । इस मिशन ने हिन्दू सामाजिक ढाँचे में सुधार लाने का प्रयास किया। उदाहरण स्वरूप इसे बाल विवाह, बहु विवाह, बालिका हत्या, सती एवं विधवा विवाह पर निषेध के विरूद्ध आवाज उठाई । इसके अतिरिक्त इस मिशन ने जाति प्रथा के विरूद्ध भी प्रचार किया । अपने इन विचारों को क्रियाशील रूप प्रदान करने हेतु इस मिशन ने अनेक समाज कल्याण संस्थायें स्थापित कीं जिनके द्वारा अभावग्रस्त एवं पीडित लोगों की सहायता की जाती थी । उस समय अधिकतर कल्याणकारी संस्थायें क्रिश्चियन मिशनों द्वारा स्थापित की गई थीं । कुछ समय पश्चात् ही लोक हितैषी व्यक्तियों,

अन्य धार्मिक संस्थाओं, एवं राज्य ने इस क्षेत्र में कार्य करना आरम्भ किया । अट्ठारहवीं शताब्दी के अन्त में क्रिश्चियन मिशनों का प्रचार भारत के विचारशील लोगों के लिए एक चुनौती का रूप रखता था । अत: इस चुनौती का सामना करने के लिए अनेक लोग तैयार हुए । इस प्रकार के एक व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने भारतकी प्रथाओं में सुधार लानेका प्रयास किया । उन्होंने विशेष प्रकार से जाति प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया और अनेक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की । उन्होंनेब्रह्म समाज की स्थापना की जिसका एक उद्देश्य हिन्दुओं को ख्रिश्चियन धर्म स्वीकृत करने से सुरक्षित रखना था । ब्रह्म समाज ने अकाल सहायता,बालिका शिक्षा, स्त्रियों के उत्थान और मद्यनिषेध एवं दान प्रोत्साहन के कार्य किये । ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा के सुधार का प्रयास किया और अनेक संस्थायें उदाहरण स्वरूप अनाथालय एवं बालिका विद्यालय आदि स्थापित किये ।

अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में समाज सेवा पद्धति के मुख्य उद्देश्य दो थे ।

(1)भारत के सामाजिक एवं धार्मिक ढाँचे को पुन:जीवित करना और उसे विदेशी धर्म एवं संस्कृति से सुरक्षित रखना और

(2) समाज सेवी संस्थाएँ स्थापित करना जिनसे भारतके निवासियों को क्रिश्चियन मिशनों द्वारा स्थापित सामाजिक सेवाओं के प्रयोग की आवश्यकता न रह जाये । इस प्रकार यहाँ की समाज सेवा को क्रिश्चियन मिशनों द्वारा स्थापित सामाजिक सेवाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिला ।

The Charles Act of 1813 के अंतर्गत शिक्षा के विकास का प्रावधान किया गया तथा अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को स्वीकृति प्रदान की गयी । इन लोगों ने शिक्षा के प्रसार पर बल दिया । राजाराम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज़ में ऐसी शक्तियों को गति दिया, जिससे कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया । सती प्रथा के विरोध में उनका प्रथम लेख 1818में प्रकाशित हुआ । उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि 1829 में लार्ड विलियम बैटिंग द्वारा Regulating Act पारित करते हुए सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया । 1815में उन्होंने आत्मीय समाज स्थापित किया जो 1828 में Brahmo Samaj के रूप में विकसित हुआ जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया ।

Hindu Remarriage Act 1856

केशव चन्द्र सेन एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर एक और समाज सुधारक थे जिनके प्रयासों द्वारा Hindu Remarriage Act 1856 में पारित किया गया । जस्टिस रानाडे ने विधवा पुन: विवाह के लिए एक Association की स्थापना की । (1861 Widow Marriage Association)

1885 में Indian National Congress

इस बदली हुई परिस्थितियों में 1885 में Indian National Congress की स्थापना ए.ओ.ह्यूम ने की, यद्यपि ह्यूम ने इसे 'सुरक्षा वाल्व' के रूप में इसे स्थापित किया तथापि कालान्तर में इसने समाज में काफी सुधार लाया ।

1887 में समाज सुधार के लिए एक नवीन संगठन की स्थापना की गयी जो Indian Social Conference के नाम से जाना गया । रानाडे इसके सचिव बने । इसका उद्देश्य बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को बन्द करना, स्त्री शिक्षा का प्रसार करना आदि था । इस क्रम को आगे बढ़ाया आर्य समाज ने इसकी स्थापना दयानन्द सरस्वती ने 1875 में किया । इनका उद्देश्य बाल विवाह, स्त्री शिक्षा एवं इनका कहना था कि 'वेदों की ओर लौटो' । अपनी पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' में इन्होंने हिन्दू धर्म में उत्पन्न सामाजिक बुराइयाँ को दूर करने के लिए कहा।

रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897

इसके बाद स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की । इसने जाति प्रथा तथा मूर्तिपूजा का विरोध किया। इसी तरह सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आन्दोलन थियासाफिकल सोसायटी, आदि ने भी समाज सुधार में काफी योगदान दिया ।

समाज सेवा संगठन Social Service Organization

1882 में पंडित रमाबाई द्वारा पूना में 'आर्य महिला समाज' नामक संस्था की स्थापना की गई । इस संस्था द्वारा अनेक स्थानों पर अनाथालयों तथा लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की गई । इसके बाद 1887 में शशिपद बनर्जी द्वारा बंगाल में हिन्दू विधवा के लिए एक विधवा गृह की स्थापना की गई । इसी प्रकार प्रो.डी.के. कार्वे द्वारा पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की गई ।

गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने देश में रामराज्य की स्थापना की कल्पना की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए उचित दशाएँ उपलब्ध हों । उन्होंने हरिजन कल्याण जन-जातियों के कल्याण, महिला कल्याण जैसे कार्यक्रमों की एक रचनात्मक व्यवस्था लाने की बात की । 1929 में Sharda Act पारित करके बालिकाओं के लिए 14 वर्ष एवं बालकों के लिए 18 वर्ष की आयु शादी के लिए निर्धारित कर दी गयी ।

समाज सेवा के लिये प्रशिक्षण

भारत में प्राचीन काल से ही समाज सेवा प्रदान करने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता रहा है, परन्तु यह प्रशिक्षण एक नैतिक वातावरण में और अनौपचारिक रूप से दिया जाता था ।औपचारिक रूप से व्याख्यान एवं व्यावहारिक शिक्षा का प्रबन्ध प्राचीन समय में न था। बीसवीं शताब्दी में बम्बई में पहली बार इस प्रकार का प्रयास किया गया जबकि वहाँ सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई । इस संस्था ने स्वयं सेवकों के लिये अल्पावधि वाला पाठ्यक्रम चालू किया । इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सेवकों को समाज सेवा के लिये तैयार करना था । भारत में 1936 के पहले समाज कार्य को एक ऐच्छिक क्रिया समझा जाता था । 1936 में पहली बार समाज कार्य की व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक संस्था 'सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल आफ सोशल वर्क' के नाम से स्थापित हुई । इस समय इस बात की स्वीकृति भारत में हो चुकी थी कि समाज कार्य करने के लिये औपचारिक शिक्षा अनिवार्य थी । तत्पश्चात् इस विद्यालय का नाम 'टाटा इन्स्टीट्यूट आफ़ सोशल साइन्स' हो गया और अब भी यह इसी नाम से प्रसिद्ध है ।

निष्कर्ष

भारत में समाज कार्य की परम्परा अत्यंत प्राचीन और गहरी सामाजिक चेतना से ओत-प्रोत रही है। प्रारंभिक काल में धर्म, करुणा और सह-अस्तित्व की भावना के तहत समाज में पीड़ितों, वंचितों और जरूरत मंदों की सहायता की जाती थी। चाहे वहवैदिक काल हो, बौद्धयुग, इस्लामी शासन काल या ब्रिटिश शासन – हर काल खंड में समाज सेवा का स्वरूप बदला, लेकिन उसका मूल उद्देश्य मानव कल्याण ही रहा। समाज सुधार आंदोलनों के माध्यम से राजा राम मोहनराय, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधार कोंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाज कार्य को एकसंगठित दिशा दी। आधुनिक काल में समाज कार्य ने एक व्यावसायिक और वैज्ञानिक स्वरूप ग्रहण किया है, जहाँ इसे केवल परोपकार नहीं, बल्कि सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना जाता है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाओं ने इस क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा व प्रशिक्षण की नींव रखी। आज समाज कार्य के वल समस्या समाधान का प्रयास नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति, समूह और समुदाय के समग्र विकास को लक्ष्य बनाकर कार्य करती है। भारत में समाज कार्य का इतिहास न केवल इसकी समृद्ध परम्परा का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सामाजिक न्याय, समानता और विकास के लिए समाज कार्य आज भी उतना ही आवश्यक और प्रासंगिक है जितना अतीत में था।

संदर्भ

1. देसाई, मुरली. (2002). वैचारिक धाराएँ और समाज कार्य: ऐतिहासिक एवं समकालीन विश्लेषण. रावत पब्लिकेशन्स।
2. चौधरी, दीनबंधु. (2012). भारतीय समाज कार्य का इतिहास. राज पब्लिकेशन्स।
3. मिश्रा, पी. डी. (2005). समाज कार्य का दर्शन और पद्धतियाँ. इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स।
4. गोरे, एम. एस. (1965). समाज कार्य और समाज कार्य शिक्षा. एशिया पब्लिशिंगहाउस।
5. सिंह, आर. आर. (2000). भारत में समाज कार्य शिक्षा: अतीत और संभावनाएँ. कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी।
6. भट्टाचार्य, संजय. (2008). समाज कार्य: एक समग्र दृष्टिकोण. दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स।
7. तिवारी, राकेश. (2017). भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन. साहित्य भंडार।
8. सक्सेना, एच. एम. (2010). समाज कार्य और समाज कल्याण. रावत पब्लिकेशन्स।
9. ब्रिटानि का विश्व कोश. (n.d.). ज़कात (इस्लामी कर प्रणाली). https://-www.-britannica.-com-से प्राप्त
10. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS). (n.d.). TISS का इतिहास और विकास. https://www.tiss.edu से प्राप्त
11. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय. (n.d.). भारत में समाज कल्याण का इतिहास. https://socialjustice.gov.inसे प्राप्त
12. लोकसभा सचिवालय. (2021). भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन. संसद पुस्तकालय एवं संदर्भ, शोध, दस्तावेज़ीकरण एवं सूचना सेवा (LARRDIS)।